

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

Website: www.rajsec.rajasthan.gov.in

Email: secraj@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ.3(72)स्टोर/रानिआ/2016/पार्ट-I 10926

दिनांक: 22.09.22

सीमित निविदा सूचना 01/2022-23

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के राजकीय कार्य सम्पादन के राज्य स्तरीय परिचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये मासिक आधार पर एक वाहन किराये पर लिया जाना है। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.2(4)FD/SPFC/2017 Dated 19.07.2018 एवं F.2(4)FD/SPFC/2017 Dated 28.02.2019 तथा F.2(4)FD/SPFC/2017 Dated 05.04.2022 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित 2500 किमी परिचालन तक वित्तीय सीमा राशि रु. 37900/- प्रतिमाह (जीएसटी अतिरिक्त, यदि लागू हो) पर, प्रथम 1500 किमी परिचालन तक राशि रुपये 27900/- प्रतिमाह (जीएसटी अतिरिक्त, यदि लागू हो) पर तथा 1500 किमी के उपरान्त राशि रु. 10/- प्रति किमी या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर वाहन संविदा पर उपलब्ध करवाये जाने के इच्छुक वाहन मालिक, फर्म एवं एजेंसियां अपनी मुहरबन्द निविदाएं सील बन्द लिफाफे में दिनांक 06.10.2022 को प्रातः 11 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त निविदाएं दिनांक 06.10.2022 दोपहर 12.30 बजे निर्धारित कार्यालय कय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। वाहन किराये की शर्तें एवं नियम किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में उपस्थित होकर या <https://sppp.rajasthan.gov.in/> पोर्टल पर देखी जा सकती है।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग

राजस्थान, जयपुर

निविदा की शर्तें :-

1. वाहन 6 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
2. वाहन निविदाकार के स्वयं के नाम से पंजीकृत एवं टेक्सी परमिट होना चाहिए।
3. वाहन से संबंधित पंजीयन रोड़ टैक्स, फिटनेस प्रमाण पत्र तथा अपेक्षित प्रदुषण नियंत्रण संबंधित प्रमाण पत्र बीमा (प्रथम पार्टी) वाहन मालिक के नाम होना आवश्यक है तथा राजस्थान में चलने का वैध परमिट होना चाहिए।
4. निविदा प्रपत्र दिनांक 22.09.2022 के पश्चात किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।
5. ड्राइवर वैध ड्राइविंग लाइसेंसधारी होना चाहिए।

क्रमांक: एफ.3(72)स्टोर/रानिआ/2016/पार्ट-I 10927-29

दिनांक: 22.09.22

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर को भेजकर लेख है कि निविदा सूचना SPPP पोर्टल एवं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावे।
2. नोटिस बोर्ड, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. मैसर्स

कार्यालयाध्यक्ष

राज्य निर्वाचन आयोग

राजस्थान, जयपुर

किराये के वाहन हेतु सीमित निविदा/कोटेशन आमंत्रण प्रपत्र वर्ष 2022-2023

कोटेशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

06.10.2022 समय 11 बजे तक

कोटेशन खोलने की तिथि

06.10.2022 समय दोपहर 12.30 बजे

(प्रस्ताव आमंत्रण दिनांक 22.09.2022)

1. कोटेशन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/फर्म का नाम.....
2. पता.....
3. मोबाईल नम्बर.....
4. आयकर स्थायी खाता सं.
5. जीएसटी नम्बर
6. निविदा जिसको संबोधित की गई है:- राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
7. वाहन/वाहनों की सूची मय रजिस्ट्रेशन नं.
8. मॉडल नं.....
9. टैक्सी परमिट है या नहीं
10. वाहन मालिक का नाम मय पता
11. क्या वाहन स्वयं निविदा दाता के नाम है
12. वाहन मालिक का ड्राइविंग लाईसेंस नम्बर
13. वाहन मालिक का दूरभाष व पता

बोलीदाता के हस्ताक्षर

बोलीदाता की घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करता हूं/ करते हैं कि जिस कार्य के लिए निविदा की गई है उसका मेरे/संस्था के पास कार्य का पूर्ण अनुभव है तथा मेरे द्वारा निविदा शर्तों का भली-भाँति अध्ययन करने उपरान्त कोटेशन में दिये गये समस्त तथ्य सत्य है। मैं समस्त निविदा शर्तों को मानने के लिए बाध्य रहूंगा। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही जो कि, की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निविदा को जिस भाग/सीमा तक स्वीकार किया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नियम एवं पात्रता की शर्त:-

1. फर्म/वाहन मालिक/ट्रेवल्ल्स एजेन्सी के पास स्वयं के नाम से पंजीकृत वाहन जो टैक्सी परमीट होना आवश्यक है।
2. किसी विशेष परिस्थितियों/अथवा दुर्घटना की स्थिति में निविदादाता को अपनी सूची में से ही एक वाहन को सक्षम अनुमति प्राप्त कर किराये पर देना होगा। भिन्न वाहन को उपयोग में नहीं लाया जावेगा।
3. किसी भी हालत में निविदादाता द्वारा प्रस्तुत मासिक/दैनिक मांग की निविदा दरों का भुगतान वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दरों से अधिक नहीं किया जावेगा।
4. किराये पर लिया जाने वाला वाहन राजस्थान राज्य में कहीं पर भी उपयोग में लाया जाता है तो प्रति रात्रि विश्राम पर ड्राइवर को 300 रुपये का भुगतान किया जावेगा।
5. वाहन चालक स्वच्छ ड्रेस में तथा वाहन भी साफ-स्वच्छ होना चाहिए।
6. वाहन अच्छी हालत में हो तथा वाहन 6 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
7. वाहन से सम्बंधित पंजीयन, रोड टैक्स, फिटनेस प्रमाण पत्र तथा समय-समय पर अपेक्षित प्रदुषण प्रमाण पत्र, बीमा वाहन मालिक के नाम होना आवश्यक है। वाहन टैक्सी परमिट होना आवश्यक है। राजस्थान में चलने में वैध परमिट आवश्यक है। वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण होने चाहिए। इसके लिये विभाग द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। फर्म द्वारा उपरोक्त से सम्बंधित वैध दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां विभाग को उपलब्ध करानी होगी।
8. ड्राइवर वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारण किये हुए होना चाहिए तथा न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वाहन चालक के लाइसेंस एवं उसकी आई.डी. की प्रमाणित प्रति आयोग में जमा करानी होगी। टैक्सी वाहन के रूप में पंजीकृत के अलावा अन्य वाहन पर विचार नहीं किया जावेगा।
9. अनुमोदित फर्म को अनुमानित लागत का 2.5 प्रतिशत परफोरमेंस गारण्टी राशि अमानत के रूप में जमा करानी होगी।
10. वाहन राज्यस्तरीय परिचालन हेतु लिया जाना है जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुरूप किया जायेगा।
11. सामान्य तौर पर वाहन का प्रतिदिन का कार्य समय औसतन दस घंटे होगा जिसे आवश्यकतानुसार घटाया/बढ़ाया जा सकेगा।
12. टोल टैक्स का भुगतान बोलीदाता फर्म को करना होगा जिसका भुगतान टोल रसीद प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा बिल के साथ किया जावेगा।
13. वाहन के लिए ईंधन एवं अन्य सभी संसाधनों/मरम्मत/संचालन इत्यादि की जिम्मेदारी फर्म की होगी। आयोग द्वारा अनुबंध में अंकित किराये एवं टोल टैक्स राशि के अतिरिक्त अन्य कोई व्यय वहन नहीं किया जावेगा। निविदादाता द्वारा टैक्सी वाहन ईंधन से पूर्ण भरा हुआ उपलब्ध कराया जावेगा।
14. अनुबंध की अवधि के दौरान वाहन आयोग के नियंत्रण में रखा जावेगा। मरम्मत एवं रखरखाव के लिए माह में अधिकतम 4 अकार्य दिवसों में अथवा अवकाश दिवसों में छूट दी जा सकेगी।
15. निविदादाता द्वारा वाहन को यथा समय कार्यालय परिसर में ही खड़ा करना होगा किन्तु जोखिम अनुबंधित निविदादाता की होगी।
16. वाहन की अनुमोदित दरें अनुबंध की तिथि से 31.03.2023 तक अथवा नवीन अनुबंध होने तक प्रभावी रहेगी।
17. वाहन पर समय की कड़ी पाबन्दी होगी, अनुपस्थित रहने अथवा देरी से पहुंचने पर शास्ति वसूल की जावेगी। जिसकी दर प्रति दिवस 1000/- प्रति वाहन होगी जिसका भुगतान बिल से काटा जावेगा।

18. निविदा स्वीकार होने की दशा में फर्म को वाहन किराये पर उपलब्ध कराने से पूर्व निर्धारित पक्ष के साथ 500/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। जिसका व्यय फर्म द्वारा किया जावेगा। अनुबंध की अवधि 31.03. 2023 तक अथवा नवीन सहमति से नियमानुसार आगे बढ़ाया जा सकेगा।
19. वाहन किराये का भुगतान बिल प्राप्त होने पर मासिक रूप से किया जावेगा। वाहन की लॉगबुक की पूर्ण प्रविष्टियों के लिये एवं यात्रा सत्यापन के लिये फर्म/वाहन चालक जिम्मेदार होगा। लॉगबुक की समस्त प्रविष्टियां सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित होनी आवश्यक है। इकजाई रूप से किराये का मासिक भुगतान बिल, लॉगबुक के साथ प्रस्तुत करना होगा। लॉगबुक का प्रपत्र उपलब्ध कराया जावेगा।
20. निविदादाता को किराये का बिल हर माह प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
21. अनुबंध के आधार किये जाने वाले किराया राशि के भुगतान पर आयकर/जीएसटी की स्त्रोत पर कटौती नियमानुसार की जावेगी। इस संबंध में आवश्यक आयकर कटौती की प्रमाण-पत्र फर्म को उपलब्ध करा दिया जावेगा। अन्य कर एवं ड्यूटीज को फर्म अपने स्तर पर वहन करेगी।
22. निविदादाता को वाहन पर एक प्लेट यह उद्धृत करते हुए कि वाहन राजकीय कर्तव्य पर है, उपलब्ध करानी होगी। प्लेट ऐसी होगी कि इनको फ्रेम से खींच कर हटाया जा सकें। वाहन के कर्तव्य से मुक्त होने के समय यह प्लेट हटाकर प्रभारी अधिकारी के संरक्षण में रखी जावेगी।
23. वाहन के दुर्घटना होने की स्थिति में तत्काल दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा। वाहन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में विभाग खुले बाजार में अन्य वाहन किराये पर लेने को स्वतंत्र होगा एवं बाजार दर एवं टेण्डर दर अन्तर राशि को फर्म से वसूल किया जावेगा।
24. फर्म सतर्कता जांच से मुक्त होनी चाहिए तथा किसी भी विभाग से ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए।
25. ठेका हो जाने के पश्चात अधिकृत वाहन को निविदादाता किसी अन्य ठेको/अन्य एजेंसी को सबलेट नहीं करेगा। बाद में यदि ऐसा पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
26. न्यूनतम निविदा अथवा किसी भी निविदा को निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
27. कार्य आयोग के मापदण्ड अनुरूप संतोषप्रद नहीं हुआ तो यह आयोग का अधिकार होगा कि 7 दिन का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।
28. वाहन कार्यालय में उपस्थित समय की मीटर रीडिंग, वाहन कार्यालय ड्यूटी से मुक्त होते समय की रीडिंग मानी जावेगी।
29. फर्म के द्वारा उपरोक्त शर्तों को पूर्ण नहीं करने पर जुर्माना लगाने का पूर्ण अधिकार आयोग को होगा तथा आयोग का निर्णय पूर्ण रूप से मान्य होगा।
30. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे।
31. सभी विधिक मामलों में न्याय क्षेत्र जयपुर रहेगा।
32. मैं/हम उपरोक्त शर्तों पर वाहन उपलब्ध कराने के लिये सहमत है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

